


- **उद्देश्य:** अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक पंजीकृत वयस्क ग्रामीण परिवारों को **कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार** उपलब्ध कराना।
- **कवरेज:** यह योजना **100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर** पूरे देश में लागू है।
- **मांग-आधारित ढाँचा:** मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है; यदि **15 दिनों के भीतर** रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होते हैं, जो पहले 30 दिनों के लिये न्यूनतम पारिश्रमिक का एक-चौथाई और उसके बाद न्यूनतम पारिश्रमिक का आधा होता है।
- **वर्केंद्रीकृत योजना:** इस योजना में **आधारिक स्तर पर नथियोजन किये जाने पर ज़ोर दिया जाता है**, जिसमें कम से कम **50% कार्य** ग्रामसभा की सफाईकारियों के आधार पर **ग्राम पंचायतों** द्वारा नषिपादित किया जाता है।
- **नधि साझाकरण:** केंद्र सरकार अकुशल श्रम लागत का **100%** और सामग्री लागत का **75%** वहन करती है, जबकि राज्य सरकारें सामग्री लागत का **25%** योगदान देती हैं, जिससे कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद सुनिश्चित होता है।
- **पारिश्रमिक भुगतान तंत्र:** योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक, **राज्य-वशिष्ट न्यूनतम पारिश्रमिक दरों पर आधारित होती है** और पारदर्शिता के लिये प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों के बैंक या आधार-लिकिड खातों में इसका भुगतान किया जाता है।
 - वलंबित भुगतान के लिये प्रतदिनि अवैतनिक पारिश्रमिक की **0.05% प्रतपूरतप्रदान की जाती जाता है**, जो उपस्थितिनामावली (Muster Roll) का समापन किये जाने के **16वें दिन से शुरू होता है**।
- **दुर्घटना प्रतपूरत:** कार्यस्थल पर घायल हुए श्रमिक प्रतपूरतके पात्र होते हैं तथा मृत्यु अथवा स्थायी दवियांगता की स्थिति में परिवारों को **अनुग्रह (Ex-Gratia) राशि** प्रदान की जाती है।
 - MGNREGA लाभार्थियों में **एक तहिई महिलाओं का होना आवश्यक है**, जिससे पारिश्रमिक और कार्य के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।

//

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)



MGNREGA पर प्रमुख नवीनतम आँकड़े

- **बजट 2024-25:**
 - **मनरेगा आवंटन:** मनरेगा बजट वित्त वर्ष 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपए था जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर **86,000 करोड़ रुपए** हो गया है।
 - **पारिश्रमिक दर में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूनतम औसत पारिश्रमिक दर में **7% की वृद्धि हुई**।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24:**
 - **महिला भागीदारी:** मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2019-20 में 54.8% थी जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर **58.9%** हो गई।
 - **जियोटैगिंग और पारदर्शिता:** मनरेगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से परसिपत्तियों की **जियोटैगिंग के साथ 99.9% भुगतान सटीकता** सुनिश्चित करता है।

मनरेगा योजना को प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- पर्याप्त बजट आवंटन: सरकार को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, ग्रामीण रोज़गार की बढ़ती मांग को पूरा करने और श्रमिकों की गरमा और आजीविका की रक्षा करने के लिये मनरेगा के बजट आवंटन में वृद्धि करनी चाहिये।
- डिजिटल प्रणालियों की समीक्षा और सुधार: सरकार को ABPS जैसी डिजिटल प्रणालियों की समीक्षा और सुधार करना चाहिये, तकनीकी बाधाओं को दूर करना चाहिये, बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना चाहिये और वशिष रूप से ग्रामीण श्रमिकों के लिये पहुँच और उपयोगकर्त्ता-मतिरता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- जवाबदेही तंत्र को मज़बूत करना: सरकार को देरी के लिये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये, मनरेगा प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिये, और समय पर मजदूरी वितरण सुनिश्चित करने के लिये रिपोर्टिंग, नगिरानी और शकियत नविरण प्रणालियों में सुधार करना चाहिये।
- भावी सुधार: भावी सुधारों में कुशल, पारदर्शी और न्यायसंगत वेतन वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जात-आधारित असमानताओं से बचना चाहिये और सभी श्रमिकों के लिये उचित व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिये।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के उद्देश्यों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसकी चुनौतियों का समाधान करने और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वरित वरष प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

- (A) केवल अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के परिवारों के वयस्क सदस्य।
- (B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के वयस्क सदस्य।
- (C) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य।
- (D) कसिी भी घर के वयस्क सदस्य।

उत्तर: (D)